

क्रमांक प.9 (91)/सू.प्रौ./प्रशि./13/205

दिनांक : 07/01/2013

आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के विभिन्न परियोजनाओं के प्रभारी अधिकारी अपने स्तर पर योजना भवन स्थित प्रशिक्षण हॉल में प्रशिक्षण देने हेतु आदेश जारी कर देते हैं जिसके संबंध में प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण) को जानकारी भी नहीं होती है। जिसके फलस्वरूप कई बार एक ही दिन और एक ही समय के लिये एक से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आदेश जारी कर दिये जाते हैं। जिससे बाद में समस्या पैदा हो जाती है।

अतः इस संबंध में सभी प्रभारी अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण करने से पूर्व प्रभारी अधिकारी, प्रशिक्षण सेंटर प्रशिक्षण हॉल की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लें तथा प्रशिक्षण आदेश की एक प्रति प्रभारी अधिकारी, प्रशिक्षण को उपलब्ध करवा दी जावे। जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन में कोई दिक्कत नहीं हो।

27/207

(संजय मल्होत्रा)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर
2. वित्तीय सलाहकार, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक प्रथम /द्वितीय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर
4. निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, जयपुर
5. निदेशक (वित्त), राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, जयपुर
6. समस्त प्रभारी अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर
7. समस्त प्रभारी अधिकारी, राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, जयपुर
8. ए.सी.पी. (डी.डी) एवं कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर
9. श्री ओ.पी. कुमावत, प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर

दीपशिखा

(दीपशिखा सक्सेना)

ए.सी.पी.(उप निदेशक)